कृषि अनुसंधान केन्द्र (कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर)

मण्डोर, जोधपुर-३४२ ३०४, राजस्थान

Agricultural Research Station (Agriculture University, Jodhpur)

Mandor, Jodhpur-342 304 Rajasthan

क्रमांकः एफ/कृ.अ.के./मण्डोर/निविदा/2020/270-74 | दिनाकः 27/05/2020

निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर के बीज उत्पादन फार्म बिलाडा पर वर्ष 2020–21 में हिस्सा आधारित बीज उत्पादन खेती करने के लिए मोहरबंध लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए धरोहर राशि रूपये 9000/– (अक्षरे रूपये नौ हजार मात्र) दिनांक 10/06/2020 वार बुधवार को दोपहर 12:00 बजे तक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर जोधपुर कार्यालय में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर (Zonal Director Research, ARS, Mandor, Jodhpur) के नाम देय हो, संलग्न कर जमा करवा सकते हैं। यह निविदा उसी दिन दोपहर 2:00 बजे उन्ही निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र मय शर्तो के शुल्क 500/– रूपये (अक्षरे रूपये पॉच सौ मात्र) प्रति प्रपत्र के हिसाब से कार्यालय में रोकड़ जमा करके किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

Zonal Director Research
Agriculture Research Station
(Agriculture University, Jodhpur)
Mandor - Jodhpur - 342304

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2020–21)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2020–21 / सं.
निविदा क्रम संख्या	क्रमांकः एफ / कृ.अ.के. / मण्डोर / निविदा / 2020 / 270-74
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये रसीद संख्याः...दिनांकः–....................
निविदा वर्ष	2020–21 (खरीफ 2020 व रबी 2020–21)
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ–2020 व रबी 2020–21 (मई 2020 से अप्रेल 2021 तक)
अनुमानित लागत	रू. 450000 / –
परिशिष्ट संख्या – एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट संख्या – दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	27 / 05 / 2020 से 10 / 06 / 2020
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	10 / 06 / 2020
निविदा खोलने की तिथि	10 / 06 / 2020
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर
पत्राचार हेतु पता	क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द, मण्डोर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.) 342304

नोटः– धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 10 / 06 / 2020 दोपहर 12.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि रोकड़ या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द, मण्डोर, जोधपुर के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्नः–निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें–

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

Zonal Director Research
Agriculture Research Station
(Agriculture University, Jodhpur)
Mandor - Jodhpur - 342304

परिशिष्ट–1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2020–21)

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

निविदा क्रम संख्या	क्रमांकः एफ/कृ.अ.के./मण्डोर/निविदा/2020/270-74 दिनांकः–27.05.2020 NIB Code:
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2020–21 में बीजोत्पादन फसलों की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	खरीफ–2020 व रबी 2020–21 (मई 2020 से अप्रेल 2021 तक)
निविदादाता का नाम व पता	.... दूरभाष नं......................................आधार नं..
धरोहर राशि का विवरण	रूपये 9000/– (अक्षरे नौ हजार मात्र) (रोकड़/बैंक ड्राफ्ट) रसीद सं...दिनांक............................ बैंक ड्राफ्ट संख्या................................ दिनांक........................... बैंक का नाम..शाखा..............................

कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर के बिलाडा फार्म पर वर्ष 2020–21 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की पैदावार में दाना/बीज उपज में निविदादाता/ठेकेदार एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर की हिस्सेदारी :–

क्र. सं.	मौसम व वर्ष	निविदादाता/ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत में)	कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर का हिस्सा (प्रतिशत में)	निविदादाता के हिस्से का उत्पादन कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर, जोधपुर द्वारा क्रय करने पर औसत दर से देय अतिरिक्त राशि (अधिकतम 10 प्रतिशत तक)
1.	खरीफ व रबी 2020–21			

Zonal Director Research
Agriculture Research Station
(Agriculture University, Jodhpur)
Mandor - Jodhpur - 342304

हस्ताक्षर–निविदादाता (ठेकेदार)

निविदादाता का नाम...............................

पता..

....

आधार नं..

परिशिष्ट–2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते

(निविदा शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर–जोधपुर **(Zonal Director Research, ARS, Mandor, Jodhpur)** के नाम देय हों तथा निविदा लिफाफे पर "हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक 10.06.2020 दोपहर 12:00 बजे तक देय" तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये ।
2. निविदा हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत मे) अंको व शब्दो में स्पष्ट लिखा होना चाहिये किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ स्वीकृत नही होगा।
3. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये ।
4. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात खरीफ–2020 एवं रबी–2020–21 के लिये मान्य होगी ।
5. निविदा के साथ 9000/– रूपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैक ड्राफ्ट, जो कि क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसधान केन्द्र, मण्डोर–जोधपुर **(Zonal Director Research, ARS, Mandor, Jodhpur)** के नाम देय को, प्रस्तुत करे। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा । चैक के रूप में धरोहर राशि स्वीकार नही की जायेगी ।
6. बुवाई हेतु बीज की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी । खाद, खेत की सफाई, जुताई (भुमि की तैयारी), सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, खरपतवार निकालना, उत्पादित उपज की सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वंय ही करायेगा अर्थात बुवाई से लेकर फसल काटने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरो में भरकर पैकिंग कर गोदाम में तौलने तक का समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।
7. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिडकाव, पानी आदि की आपूर्ति केन्द्र ही करेगा, परंतु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
8. स्वीकृत निविदादाता को केन्द्र द्वारा उपलब्ध सिंचाई सुविधा का उपयोग विद्युत वितरण की उपलब्धता पर करना होगा, चाहे वह दिन में आये या रात्रि में ।
9. सिंचाई हेतु मशीन ऑपरेटिंग व सिंचाई हेतु लगने वाली प्रकिया में श्रमिक अवयव ठेकेदार का ही होगा । केवल तकनीकी सहायता केन्द्र द्वारा दी जायेगी ।
10. बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य कियाऐं जैसे निराई–गुडाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधो को निकालना) क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान /फार्म प्रभारी/फार्म फसलों की रखवाली करने की, समय पर निराई–गुड़ाई व जैविक दवाओं का छिड़काव/भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे

Zonal Director Research
Agriculture Research Station
(Agriculture University, Jodhpur)
Mandor - Jodhpur - 342304

निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा। मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा ।

11. निराई–गुडाई, सिंचाई व अन्य कृषि से सम्बनधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान/फार्म प्रभारी को होगा ।

12. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान का निर्णय अंतिम होगा, जो कि ठेकेदार को मानना बाध्य होगा ।

13. पम्प/टयूबवेल मोटर ऑपरेशन का कार्य निविदादाता को ही करना होगा ।

14. फसलों की रखवाली करने की, समय पर निराई–गुडाई व दवाओं का छिडकाव/भुरकाव तथा समय पर तुडाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा ।

15. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की कोई कृषि या अन्य नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जावेगा ।

16. फसल के दौरान निविदादाता स्वंय के पशु बगैरहा फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से हरा चारा आदि ले जाने दिया जायेगा ।

17. कृषि अनुसधान केन्द्र के बिलाडा फार्म पर उपलब्ध घास, लूगं, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का अधिकार नहीं होगा ।

18. निविदादाता (ठेकेदार) उपरोक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

19. निविदादाताको केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना–जाना करना होगा । किसी भी अवांछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी ।

20. हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान को होगा । किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान का निर्णय अंतिम होगा, जो कि निविदादाता को मानना बाध्य होगा ।

21. केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी ।

22. फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फावडा, कुदाली गेती, खुरपी, दांतली आदि ठेकेदार को स्वंय लाने होंगे ।

23. निविददाता को खरीफ–2020 एवं रबी–2020–21 में बीजोत्पादन फसलों की खेती से प्राप्त उपज समय पर जमा करानी होगी । यदि निविदादाता के हिस्से का खरीफ–2020 एवं रबी–2020–21 का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय किया जाएगा निविदादाता को उसके एवज में उपज जमा कराने के पश्चात् [illegible] सात दिन (एक सप्ताह) तक की कृषि

Zonal Director Research
Agriculture Research Station
(Agriculture University, Jodhpur)
Mandor - Jodhpur - 342304

उपज मण्डी में रही अधिकतम–न्यूनतम की औसत दर व न्यूनतम समर्थन मूल्य दोनो मे से जो भी अधिक हो वह मूल्य अतिरिक्त राशि (10 प्रतिशत) से भुगतान किया जायेगा । उपरोक्त उत्पादन को कय करने का प्रथम अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसधान केन्द्र, मण्डोर–जोधपुर का होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा ।

24. अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद फार्म मेनेजर/कृषि पर्यवेक्षक से No Dues के बाद लौटा दी जायेगी । सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन मैं लौटा दी जायेगी । धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

25. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा । विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के मध्यस्थता में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा ।

26. किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसधान केन्द्र, मण्डोर–जोधपुर के पास सुरक्षित रहेगा एवं क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के निर्णय सर्वमान्य होंगे ।

Zonal Director Research
Agriculture Research Station
(Agriculture University, Jodhpur)
Mandor - Jodhpur - 342304

Zonal Director Research
Agriculture Research Station
(Agriculture University, Jodhpur)
Mandor - Jodhpur - 342304

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ।